UPGK010014082023

न्यायालय विशेष न्यायाधीश (एस.सी./एस.टी. एक्ट), गोरखपुर।

परिवाद संख्या- 16/2023

मुखराज हरिजन --------बनाम------- गंगा यादव आदि

थाना- खजनी, **जिला-** गोरखपुर

दिनांक-16.09.2025

पत्रावली आज आदेश हेतु नियत है। परिवादी मुखराज हरिजन के विद्वान अधिवक्ता को तलबी के प्रश्न पर पूर्व नियत तिथि पर सुना जा चुका है।

परिवाद का कथानक संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 25.06.2007 को 11 बजे दिन में परिवादी का लड़का अंकुश अपने घर से पैदल रकौली चौराहा पर जा रहा था कि पुरानी रंजिश को लेकर उसके गांव के गंगा यादव व उनके लड़के प्रहलाद व व्यास यादव तथा गांव के ही बृजनाथ व राजेश ट्रैक्टर पर बैठकर तथा बृजनाथ ने ट्रैक्टर चलाते हुए परिवादी के लड़के की हत्या करने की गरज से ट्रैक्टर से धक्का दे दिया, जिसकी ठोकर से परिवादी का लड़का जमीन पर गिर गया, जिससे उसे काफी चोटे आयी। प्रार्थी वही बगल में अपनी पत्नी के साथ छप्पर डालने के लिए खार काट रहा था। उसने तथा गांव के बहुत से लोगों ने घटना को देखा। प्रार्थी द्वारा विपक्षीगण से ऐसा करने से मना किया गया तो उक्त सभी लोग परिवादी व उसकी पत्नी को भद्दी भद्दी गाली देते हुए कहे कि चमारिया सालो तुम्हारा मन बढ़ गया है, ज्यादा बोलोगे तो तुम्हारी हत्या कर देंगे। परिवादी के लड़के को गंभीर चोट लगने से वह बेहोश हो गया।

परिवाद के समर्थन में परिवादी का स्वयं का बयान धारा-200 द0प्र0सं0 तथा जांच साक्षी सं०-1 अंकुश कुमार, जांच साक्षी सं०-2 सुभद्रा का बयान धारा-202 द0प्र0सं0 के अन्तर्गत लेखबद्ध किया गया।

पत्रावली पर उपलब्ध सम्पूर्ण साक्ष्यों का परिशीलन किया।

परिवादी ने पुरानी रंजिशवश विपक्षीगण द्वारा उसके पुत्र को जान से मारने की नियत से ट्रैक्टर से धक्का देने आरोप लगाया है। साक्षी के रूप में परिवादी की अपनी पत्नी सुभद्रा एवं पुत्र/चोटहिल अंकुश कुमार को परीक्षित कराया गया है। अभियुक्तगण द्वारा मां बहन की गाली गुप्ता देने व जातिसूचक शब्दों का उल्लेख करते हुए जान से मरवा देने की धमकी का भी उल्लेख किया गया है।

परिवादी ने अपने कथनों के समर्थन में अपना बयान अंकित कराते हुए साक्षी के रूप में अपनी पत्नी एवं पुत्र को परीक्षित कराया है। परिवादी द्वारा अपने उक्त बयान में कथन किया है कि विपक्षीगण द्वारा उसके पुत्र पर चुनावी रंजिश के कारण ट्रैक्टर का पटिया चढ़ाकर उसके पैर पर पटिया रोके थे एवं परिवादी व उसकी पत्नी को भद्दी भद्दी गाली व जान से मारने की धमकी दिये। परिवादी की पत्नी द्वारा कथन किया गया है कि विपक्षीगण ने उसके पुत्र को ट्रैक्टर से कुचल दिया एवं भद्दी भद्दी गाली देते हुए जान से मारने की धमकी दी, जबकि चोटहिल द्वारा कथन किया गया है कि विपक्षीगण द्वारा चुनावी रंजिश में उसके उपर ट्रैक्टर चढ़ा दिया जिससे उसका पैर टूट गया था तथा उसके बाद उसे जातिसूचक शब्दों से अपमानित करते हुए भद्दी भद्दी

गाली व जान से मारने की धमकी दी। अतः मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों में अभियुक्तगण गंगा यादव, प्रहलाद यादव, ब्यास यादव, बृजनाथ यादव एवं राजेश यादव के विरुद्ध धारा- 147, 149, 323, 504, 506 भा0द0सं0 तथा धारा- 3(1)(द)(ध) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 का अपराध प्रथम दृष्टया गठित होता हैं। अतः अभियुक्तगण उपरोक्त वर्णित धाराओं में विचारण हेतु तलब किए जाने योग्य हैं।

<u>आदेश</u>

अभियुक्तगण अभियुक्तगण गंगा यादव, प्रहलाद यादव, ब्यास यादव, बृजनाथ यादव एवं राजेश यादव के विरुद्ध धारा- 147, 149, 323, 504, 506 भा0द0सं0 तथा धारा- 3(1)(द), (ध) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध के लिए विचारण हेतु जरिए सम्मन आहूत किया जाय। पत्रावली वास्ते हाजिरी अभियुक्तगण दिनांक 24.10.2025 को पेश हो। परिवादी आवश्यक पैरवी अन्दर सप्ताह सुनिश्चित करें।

दिनांक-16.09.2025

(उमेश चन्द्र पाण्डे-II)
विशेष न्यायाधीश (एस.सी./एस.टी.एक्ट),
गोरखपुर।
JO Code - UP 6066

Digitally signed by UMESH CHANDRA PANDEY
Date: 2025.09.16 16:52:37 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court